

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमांक ५०६ /आर 613/2007/ब-1/चार,
प्रति,

दिनांक १८/०४/2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,

विषय:-
अस्थाई पदों की निरंतरता के संबंध में ।

संदर्भ:-
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1032/आर 613/चार/ब-1/2007,
दिनांक 25.6.2012.

-000-

संदर्भित ज्ञापन से राज्य शासन के अधीन अस्थाई पदों की निरंतरता के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(1) अस्थाई पदों की निरन्तरता के संबंध में प्रशासकीय विभाग प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाकर आदेश प्राप्त कर सकेंगे। इस बाबत संक्षेपिका के साथ निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट -1 संलग्न करना अनिवार्य होगा। मंत्रिपरिषद आदेश प्राप्त होने पर वर्तमान केन्द्रीय वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के लिए प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर प्रतिवर्ष पदों की निरन्तरता जारी कर सकेंगे। वर्तमान केन्द्रीय वित्त आयोग की अवार्ड अवधि की समाप्ति पर यदि पदों की आवश्यकता हो तो अभिमत के साथ प्रशासकीय विभागों को प्रस्ताव पुनः मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

(2) उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक पूर्ण की जाकर विभागों द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये जायें। अस्थाई पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आहरण में असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक अस्थाई पदों के वेतन भत्ते आहरित किये जा सकेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अमित राठौर)

सचिव


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

11/2/1

क्रमांक ५०१ /आर 613 /2007 /ब-१/ चार,
प्रतिलिपि:-

दिनांक ११ /04 /2017

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल,
 2. निबंधन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल,*
 4. सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय भोपाल,
 5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, म०प्र०,
 6. सचिव, लोकायुक्त, भोपाल, मध्यप्रदेश,
 7. निज सचिव /निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, म०प्र० शासन भोपाल,
 8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म०प्र० भोपाल,
 9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग म०प्र० भोपाल,
 10. रजिस्ट्रार, म०प्र० राज्य प्रशासनिक न्यायधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
 11. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2, म०प्र० भोपाल /ग्वालियर,
 12. महाधिवक्ता /उप महाधिवक्ता, म०प्र० भोपाल /इंदौर /ग्वालियर,
 13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, म०प्र० भोपाल,
 14. प्रमुख सचिव /सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल,
 15. आयुक्त कोष एवं लेखा, म०प्र०,
 16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म०प्र० भोपाल,
 17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
 18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
 19. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय भोपाल,
 20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, मध्यप्रदेश,
 21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश,
 22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल,
 23. अध्यक्ष म०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय भोपाल,
 24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन /संघो
 25. समस्त कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश,
 26. गार्ड फार्मल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,


(रूपेश कुमार पठवार)
११/११/२०१७

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिषिष्ट-1

अस्थाई पदों की निरंतरता के प्रस्ताव हेतु निधारित प्रपत्र

राजल क्र०	कार्यक्रम/योजना /परियोजना का नाम	पद की श्रेणी/प्रकार	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	पद निर्माण की मूल लिंग	पद निर्माण की वर्ष	निरंतरता	कालम 9 में केन्द्रीय वित्त दशायी अवधि	क्रमांक दर्शक द्वारा उपरोक्त दो दर्जे को निरंतर रखे जाने का ओचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

नोट:- यदि उपरोक्त क्रमांक दो में दर्ज कार्यक्रम/योजना/परियोजना केन्द्र प्रवर्तित या केन्द्र पोषित है तो भारत शासन की रवीकृति का क्रमांक व दिनांक तथा विगत पाँच वर्षों में भारत शासन से प्राप्त राशि पृथक से दर्शायी जाए।

५